रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-03022021-224908 CG-DL-E-03022021-224908

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 469] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 3, 2021/माघ 14, 1942 No. 469] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 3, 2021/MAGHA 14, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2021

का.आ. 517(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्गों, जिन्हें अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को उक्त तालिका के स्तम्भ क्रमश: (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया जाए समझा जाएगा।

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
(1)	(2)	(3)
589	440	आंध्र प्रदेश राज्य में रायाचोटी के निकट रारा-40 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर वेंपल्ली, प्रोद्दातुर को जोडने वाला और चगलामारी के निकट रारा-40 के साथ

704 GI/2021 (1)

अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

[फा. सं. एनएच-14012/2/2021-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी, जिसे दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित और बाद में अधिसूचना सं. का. आ. 11 (अ), दिनांकित 01 जनवरी, 2021 द्वारा इसमें संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2021

S.O. 517(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table.

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
589	440	The highway starting from its junction with NH-40 near Rayachoty, connecting Vempalli, Proddatur, and terminating at its Junction with NH-40 near Chagalamarri in the State of Andhra Pradesh.

[F. No. NH-14012/2/2021-P&M]

RAJESH GUPTA, Director

Footnote:-The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 11 (E), dated 1st January, 2021.